

गैरक्षेत्र का गिरफ्तारी वारंट अदम्य लागू प्रमाण हुआ है। अन्तर्विपरीती सीखवाले द्वारा गैरक्षेत्र की गयी है कि गैरक्षेत्र इस जिले से बाहर जोधपुर निवास कर रहा है। नत्पश्चात् गैरक्षेत्र को जोधपुर निवास पर पर नलायत होने पर, क्षान्त श्राया गया है कि गैरक्षेत्र का अभी तक कोई अना-पता नहीं है। यह प्रमाण प्रथम जिला पुलिस अधीक्षक, काठ द्वारा वर्ष २०१३ में दर्ज रजिस्टर कराया गया था। किन्तु प्रमाण में गैरक्षेत्र एडकार दि० २६/०१/१३ को उपस्थिति पश्चात् आज दिनांक तक अनुपस्थित रहा है तथा वारंट अदम्य लागू प्रमाण हुए हैं तथा यह स्पष्ट है कि वर्तमान में गैरक्षेत्र इस जिले का निवासी नहीं है। ऐसी स्थिति में अदम्य उत्तरागता को प्रमाण में चलाना उचित नहीं है, सप्रमाण ही फलस्वरूप प्रथम जिला पुलिस अधीक्षक, काठ द्वारा प्रस्तुत उत्तरागता धारा १३ (राज-अधिनिष्पन्न) १९५५ एकरित दिशा जाता है। अतः गैरक्षेत्र जिला पुलिस अधीक्षक, काठ को पालनार्थ मित्रों के जिले कायतामील नदमील अन्तर्विपरीती अदम्य प्रमाण

